



बेटियां हैं प्रदेश की शान
उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य
पर दें पूरा ध्यान



मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना



उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा योजना में देय लाभ की
कुल धनराशि रु. 15,000/- को
वित्तीय वर्ष 2024-25 से बढ़ाकर रु. 25,000/-
किया गया है।

योजनांतर्गत 6 श्रेणियों में देय धनराशि में निम्नवत् वृद्धि की गई है:-

श्रेणी	श्रेणी का विवरण	वर्तमान में देय धनराशि	वित्तीय वर्ष 2024-25 से देय धनराशि
प्रथम श्रेणी	जन्म पर	रु. 2,000/-	रु. 5,000/-
द्वितीय श्रेणी	एक वर्ष तक का टीकाकरण पूर्ण होने पर	रु. 1,000/-	रु. 2,000/-
तृतीय श्रेणी	कक्षा-1 में प्रवेश पर	रु. 2,000/-	रु. 3,000/-
चतुर्थ श्रेणी	कक्षा-6 में प्रवेश पर	रु. 2,000/-	रु. 3,000/-
पंचम श्रेणी	कक्षा-9 में प्रवेश पर	रु. 3,000/-	रु. 5,000/-
षष्ठम श्रेणी	10वीं या 12वीं कक्षा उत्तीर्ण कर 2 वर्षीय या अधिक अवधि के डिप्लोमा या स्नातक में प्रवेश पर	रु. 5,000/-	रु. 7,000/-
कुल		रु. 15,000/-	रु. 25,000/-

— योजना की पात्रता हेतु अर्हताएं —

- उत्तर प्रदेश का स्थायी निवास प्रमाण पत्र • परिवार की वार्षिक आय अधिकतम रु. 3.00 लाख
- अधिकतम दो ही बच्चियों को योजना का लाभ • परिवार में अधिकतम दो बच्चे

वेबपोर्टल <https://www.mksy.up.gov.in> पर ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ प्राप्त करें।

— उद्देश्य —

- कन्या भ्रूण हत्या को समाप्त करना • समान लैंगिक अनुपात स्थापित करना • बाल विवाह की कुप्रथा को रोकना
- बालिकाओं के स्वास्थ्य व शिक्षा को प्रोत्साहन देना • बालिकाओं को स्वावलम्बी बनाने में सहायता प्रदान करना
- बालिका के जन्म के प्रति समाज में सकारात्मक सोच विकसित करना

[@upwcd](https://www.instagram.com/upwcd) [@upmahilakalyan](https://www.facebook.com/upmahilakalyan) [upmahilakalyan](https://www.youtube.com/upmahilakalyan)